कपड़ेकी बाबत अुड़ीसाकी नीति

रजि० नं० बी ४४४८

हरिजनसेवक

दो आना

भाग ११ सम्पादक – प्यारेलाल अंक ७

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाअी देसाअी
नवजीवन मुद्रणालय, कालुपुर, अहमदाबाद

अहमदाबाद, रविवार, ता० १६ मार्च १९४७

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शि० १४; डॉलर ३

सवाल—जवाब

स०— आपके असहयोग यानी तर्केमवालात और दोस्त राष्ट्रोंके भाअीचारा-विरोधमें क्या फ़र्क़ है?

ज०— जवाब साफ़ है। मेरा असहयोग विचारके मुताबिक़ अमलमें भी ख़ालिस तौरपर अहिंसक है। अिसका यह मतलब नहीं कि अुसका अमल हमेशा बेनुक्स हुआ है। अुसूल और अमल शायद ही कभी मिलते हैं। अुक़्लाअिदिसकी रेखा भी तो अमलमें अुसकी अुसूली तारीफ़से नहीं मिलती।

दोस्त राष्ट्रोंकी भाअीचारा-विरोधी नीतिके नतीजे तबाह कर देनेवाले हुअे हैं। अुन्हें कोअी भी आसानीसे देख सकता है। रहमकी बात यह है कि तबाहीका काम अभी पूरा नहीं हुआ। कोअी नहीं जानता कि अुसका अंत कहाँ होगा।

(अंग्रेज़ीसे) मोहनदास करमचंद गांधी

आसाम

अगर हिन्दुस्तानका रोमांचक सूबा आसाम ब्रिटिश कूटनीतिके अिनसानोंपर अक्सर किये जानेवाले बेरहम तजरबोंका शिकार न हुआ, तो अुसका भविष्य बड़ा अुजला है। ज़्यादा-से-ज़्यादा जातियों और भाषाओंके बावजूद वह अेक ही तरहके लोगोंका सूबा है। आसामके गवर्नर सर अेण्ड्रू क्लोके शब्दोंमें, "आसामकी तराअीमें जातियोंकी जैसी मिलावट पाअी जाती है, वैसी हिन्दुस्तानमें और कहीं नहीं है; और साथ ही अुनसे ज़्यादा मेल-जोलसे रहनेवाली जातियाँ भी कहीं नहीं मिलेंगी।"

लेकिन आसामका यह अेका सामराजवादी लोगोंको अखरता है। अिसलिअे सुरमा-घाटीके सिलहट और कछार नामके ज़िले आसामके साथ जोड़ दिये गये। अिन दो ज़िलोंके लोग बँगला ज़बान बोलते हैं। अिसलिअे सही मानोंमें ये ज़िले बँगालके होने चाहियें। खासी और जयन्तियाकी पहाड़ियोंकी वजहसे सुरमा-घाटी और आसाम-घाटीके बीच ज़्यादा आमद-रफ़्त नहीं रहती। सुरमा-घाटीके अिन ज़िलोंको बंगालके साथ फिर मिला देनेके सुझावको हरकोअी समझ सकता है। लेकिन समूचे आसामको बंगालके हाथों सौंप देना अिन्साफ़का गला घोंटना है। अिससे हम अिस नतीजेपर पहुँचे बिना नहीं रह सकते कि यह नीति हिन्दुस्तानको ब्रिटिश शिकंजेमें मज़बूतीसे कसे रहनेके खेलका ही अेक हिस्सा है। अिस बातको पूरी तरह जानते हुअे भी कि आसामके लोग अिसके खिलाफ़ हैं, अुनके सूबेको बंगालके साथ जोड़ा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि तय किये हुअे गुटमें मिलनेके कुछ वक़्त बाद ही आसाम चाहे तो अुस गुटसे बाहर हो सकेगा। लेकिन कौन कह सकता है कि आगे अैसे कितने ही बखेड़े खड़े न होंगे जो आसामकी अिस आज़ादीको बिलकुल बेकार बना दें? हो सकता है कि हिन्दुस्तानको बाँटनेकी निश्चित नीतिवाली और बंगालमें ठोस बहुमतवाली मुस्लिम लीग चालाक़ीसे आसामको मज़बूत वैधानिक फन्देमें फाँस ले। अिनसानोंके साथ यह कितना बेरहम तजरबा किया जा रहा है!

अिसी तरह पच्छिमी हिस्सेमें, सिक्खों और अुत्तरी पच्छिमी सरहदी सूबेके पठानोंको पंजाब और सिन्धके गुटमें मिलनेके लिअे मजबूर किया गया है। और, अिस सबके बावजूद, ब्रिटेनके बड़े वज़ीरने यह अैलान करनेका दुस्साहस किया है कि ब्रिटिश सरकार लोगोंके किसी बड़े हिस्सेपर, अुसकी मरज़ीके खिलाफ़, कोअी विधान या आअीन लादना नहीं चाहती।

साथ ही, अेक दूसरी मनहूस हलचल भी चल रही है। कुछ ब्रिटिश अफ़सर नागा लोगों और दूसरी पहाड़ी जातियोंका अेक अलग सूबा बनानेकी कोशिशमें लगे हैं। अंग्रेज़ अफ़सर अपनी अिस नीतिके नतीजेको अच्छी तरह जानते हैं। कुछ नागा नेता भले अिस अुम्मीदसे फूल जायँ, लेकिन अुनमेंसे गहरा विचार करनेवाले लोगोंने, जो अिसके नतीजेको ज़्यादा समझते हैं, मिलकर अेक ठहराव पास किया है, जिसे 'वोखा ठहराव' कहा जाता है। अुस ठहरावमें कहा गया है—

"१. यह नागा राष्ट्रीय कौंसिल आज़ाद अिलाक़ोंवाली जातियोंके साथ सारी नागा जातियोंके मज़बूत अेकेकी हिमायत करती है।

"२. यह कौंसिल आसामको बंगालके साथ जोड़नेका ज़बरदस्त विरोध करती है।

"३. विधान या आअीनकी निगाहसे नागा पहाड़ियोंको आज़ाद हिन्दुस्तानमें आज़ाद आसामके साथ शामिल किया जाय, और अुन्हें मुक़ामी आज़ादी देकर नागाओंके हितोंकी ज़रूरी हिफ़ाज़तका ध्यान रक्खा जाय।

"४. नागा जातियोंको अलगसे अपने नुमाअिन्दे चुननेका हक़ दिया जाय।"

हमें यह खयाल नहीं करना चाहिये कि ये पहाड़ी लोग अपना राज खुद चलानेकी कलामें नौसिखिया हैं।

ब्रिटिश हुकूमतके मातहत भी, वे गाँवोंमें खुद अपना राजकाज चलाते हैं। खून या अैसे ही भयंकर जुर्मोंके मामलोंके सिवा दूसरे मामले शायद ही कभी ब्रिटिश कोर्टोंमें आते हों। अुनके राजकाजका यह तरीक़ा है:—

किसी 'खेल'में झगड़े पैदा होनेपर अुस "खेल"का "गाँवबूढ़ा" अुन्हें निपटाता है। अगर किसी झगड़ेमें अेक से ज़्यादा "खेल" के लोगोंका ताल्लुक़ होता है, तो अुन "खेलों" की नुमाअिन्दगी करनेवाले "गाँवबूढ़े" अेक जगह अिकट्ठा होकर अुसे निपटाते हैं। अगर झगड़े बहुत अहम होते हैं, तो सब मुखिया पंचायत-हॉलमें अिकट्ठा होकर अुन्हें निपटाते हैं। मामूली तौरपर सारे झगड़े अिसी तरह निपटाये जाते हैं। बहुत ही कम मामले अैसे होते हैं, जिन्हें ब्रिटिश अदालतोंके सामने पेश किया जाता है।

www.vinoba.in

अिनमेंसे ज़्यादातर "गाँववूढ़े" प्रजा द्वारा चुने जाते हैं। कुछ जगहोंमें वे पुश्तैनी होते हैं। परन्तु अुनके बारेमें भी किसी न किसी तरह जनताकी राय ली ही जाती है।

'आओ' कहलानेवाले नागाओंकी अेक क़िस्मकी अपनी सरकार होती है, जिसे प्रजा खुद क़ायम करती है। अुम्रके मुताबिक़ लोगोंको तीन हिस्सोंमें बाँट दिया जाता है। बड़े-बूढ़े सलाहकारका काम करते हैं, नौजवान समाज-सेवाके अैसे काम करते हैं जिनमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, और अुनसे छोटे समाज-सेवाके मामूली व छोटे-छोटे काम करते हैं। अुम्र बढ़नेपर छोटे दल अपनेसे अूँचे दलका दरजा पाते रहते हैं।

हर पहाड़ी जातिकी अपनी अेक अलग ज़बान होती है। बोलचालकी आम ज़बानके तौरपर अुन्हें अंग्रेज़ीका अिस्तेमाल करना सिखाया गया है, मगर अुनमेंसे बहुत कम लोग अिसे समझते हैं। वे लोग अंग्रेज़ीकी जगह आसामीका अिस्तेमाल करनेके लिअे तैयार हैं, जो क़ुदरती तौरपर अुन हिस्सोंमें ज़्यादा आसानीसे समझी जाती है।

अगर यह सच है कि अंग्रेज़ोंने हिन्दुस्तान छोड़ना तय कर लिया है, तो समझमें नहीं आता कि वे अब भी अैसी हालतें क्यों पैदा करते रहते हैं, जिनसे अिस मुल्कमें फूट फैले? वे जानते हैं कि पहाड़ी लोगोंकी क़िस्मत पूरे हिन्दुस्तानके साथ अैसी मज़बूतीसे जुड़ी हुअी है कि वह कभी अलग नहीं हो सकती। वे यह भी जानते हैं कि पहाड़ी जातियोंको अगर अकेला छोड़ दिया जायगा तो, अुनमें आपसी अेके और विदेशी नीतिकी कमी रहेगी। अुन्हें अिस बातका यक़ीन दिलानेकी ज़रूरत है कि वे अपनी भीतरी हुकूमतके बारेमें पूरी तरह आज़ाद रहेंगे। पहाड़ी जातियाँ, हमदर्द अफ़सरोंकी मददसे आसानीसे अपनी अेकता और संगठन क़ायम कर सकती हैं।

आसामके ज़्यादा आगे बढ़े हुअे लोगोंको चाहिये कि वे अिन पहाड़ी लोगोंको ज़िन्दगी बनानेवाली तालीम देनेकी पूरी-पूरी कोशिश करें। अुन्हें खेतीके सुधरे हुअे तरीक़े सिखाये जायँ। अुनके आमद-रफ़्तके साधन सुधारे जायँ। "शामिल" और "ग़ैरशामिल" हलक़ोंका शरारत भरा फ़र्क़ न रहने दिया जाय। ज़रूरत पड़ने पर मौजूँ क़ानूनके ज़रिये बाहरी लूट-खसोटसे अुनकी हिफ़ाज़त की जाय। घरेलू धंधोंकी तरक़्क़ी की जाय और सहकारी-सभाओंके ज़रिये अुन्हें अपना माल बाज़ारमें बेचनेकी सहूलियतें दी जायँ। ग़ैर-सियासी और ग़ैर-तबलीग़ी समाज-सेवक संस्थाओंको अिन हलक़ोंमें काम करने और अिन लोगोंको योजनाके मुताबिक तरक़्क़ी करनेमें मदद देनेके लिअे अुत्साह देना चाहिये।

आसामको मज़बूतीसे काम लेना चाहिये और बंगालका जुआ अपनी गर्दनपर ज़बरदस्ती रखनेसे अिनकार कर देना चाहिये।

आसाम जिस तरह अितने बरसोंसे खुद हो कर आज़ादीके साथ बंगाल और बिहारसे सहयोग करता रहा है, वैसे ही अब भी कर सकता है। आज़ाद और अखण्ड हिन्दुस्तानमें आसाम, अपनी भीतरी हुकूमतके मामलेमें आज़ाद सूबा बनकर ही रहे।

वर्धा, २१-१२-'४६
(अंग्रेज़ीसे)

काका कालेलकर

"नअी तालीम" का फिर प्रकाशन

हिन्दुस्तानी तालीमी-संघके सेक्रेटरी श्री० आर्यनायकम् लिखते हैं:

संघका माहवार पत्र "नअी तालीम" १ मार्च, १९४७ से फिर निकलने लगेगा। सालाना चंदा चार रुपये रखा गया है। ग्राहकोंको अपना चंदा **मैनेजर, "नअी तालीम," सेवाग्राम, (वर्धा)** के पतेसे भेज देना चाहिये।

सेहतकी सँभाल

अिस बातमें तो कोअी शक ही न होना चाहिये कि प्रजाकी बड़ी-से-बड़ी दौलत अुसकी तन्दुरुस्ती है। आज़ादी हासिल कर लेने पर भी अुसे टिकाये रखनेवाली ज़रूरी जिस्मानी ताक़त और तन्दुरुस्तीके बिना प्रजा फिरसे कमज़ोर और पराधीन हो जायगी। आज़ादी जैसे-जैसे ज़्यादा नज़दीक आती जायगी, वैसे-ही-वैसे अुसे टिकानेके लिअे जिस्मानी ताक़त और तन्दुरुस्ती हासिल करने और अुन्हें सँभालनेकी हमारी चिन्ता बढ़ती जायगी।

देशकी तरक़्क़ीके लिअे अनेक दिशाओंमें कअी तरहकी कोशिशें लगातार होती रहती हैं। स्कूल, कॉलेज, अखाड़े, व्यायाम-मण्डल, दवाखाने, अस्पताल, बोर्डिंगहाअुस, सेवाश्रम, अनाथाश्रम वग़ैरा संस्थाओंकी मारफ़त हमारी जिस्मानी, मानसिक और माली तरक़्क़ीकी कोशिशें राज और समाजकी तरफ़से होती रहती हैं। मगर अिन सारी कोशिशोंका मामूली जनतापर क्या असर होता है? माली हालतके बारेमें लोगोंकी कमाअीपर लगाये जानेवाले कर, ज़कात, और दूसरे कअी क़िस्मके आँकड़ोंसे हमें बहुतसी जानकारी मिलती है। मगर शरीर और मनकी तरक़्क़ीके बारेमें हमको बहुत कम जानकारी मिलती है। 'भोर कमेटीके' क़ायम होनेके बाद भी यह मुमकिन नहीं मालूम होता कि अिस दिशामें हम ज़ोरोंसे आगे बढ़ सकेंगे। ये बड़ी-बड़ी स्कीमें अमलमें लाअी जायँ, अुससे पहले हमें यह जान लेना चाहिये कि हमारे औरत, मर्द और बच्चोंकी जिस्मानी हालत कैसी है, ताकि हम अपनी कमियोंको जान सकें और लम्बी-लम्बी मंज़िलोंको तय करनेकी तैयारी कर सकें।

तन्दुरुस्तीके आदर्शको समझना मुश्किल नहीं है। अगर हमें गँठीले बदन, रोबदार चेहरे, और शरीर सीधा रखकर धरतीको कँपाते हुअे चलनेवाले, अपनी जाति, परिवार और मुल्ककी हिफ़ाज़त करने लायक़ मुस्तैद नौजवान और ज़िन्दगीमें आनन्द और रस हासिल करने, चाल-चलनको पवित्र रखने और अिख़लाक़ी व जिस्मानी तरक़्क़ी करनेकी ताक़तवाली आदर्श प्रजा तैयार करनी हो, तो अुसका पहला साधन तन्दुरुस्ती है। कसरत करनेसे शरीरमें सिर्फ़ ताक़त आ सकती है, मगर अुसके बाद शरीरपर क़ाबू रखने, जानकारी हासिल करने व जानकारीका सही अिस्तेमाल करनेकी ताक़त भी आनी चाहिये। यह ताक़त समाजके कितने हिस्सेको मिल गअी है, अिसका हिसाब और छानबीन चालू सरवेके मुताबिक़ होनी चाहिये। समाजकी तरक़्क़ीके साधनों और तरह-तरहकी प्रवृत्तियोंसे कुटुम्ब और व्यक्तियोंको कितना फ़ायदा हुआ है, अिसे नापनेकी आदत और साधन रखने चाहियें।

अैसी छानबीन करनेकी ज़िम्मेदारी बम्बअीके संशोधन-मंडलने कुछ बरसोंसे अपने सिर ली है। गुजरातके कॉलेजोंमें पढ़नेवाले विद्यार्थियोंमेंसे ६२ से ६४ फ़ीसदीकी तन्दुरुस्ती चिन्ता पैदा करनेवाली है। गुजरातके हिन्दू नौजवान विद्यार्थियोंका औसत वज़न पारसी और मुसलमान भाअियोंसे कम है; बीस बरसकी अुमर और ६५ अिंचकी अूँचाअीवाले नौजवानका औसत वज़न १२३ पौंड होना चाहिअे। पारसी भाअियोंका वज़न १२७ पौंड था, मुसलमानोंका ११६ और हिन्दू भाअियोंका ११३। सत्रह बरसकी पारसी लड़कियोंका औसत वज़न ११६ पौंड और हिन्दू लड़कियोंका १०० पौंड था। बीमा कम्पनियोंके दफ़्तरोंमें बड़ी अुम्रके औरत-मर्दोंके वज़नके जो आँकड़े मिलते हैं, वे अैसी कमज़ोरीकी ताअीद करते हैं। हालत अितनी खराब है कि, जन्मसे ही गुजराती बालकोंका जितना वज़न होना चाहिये अुससे कम होता है, और पिछले दस बरसोंसे तो वह और भी घटता जा रहा है। अिस बातकी जानकारी बम्बअी, सूरत और अहमदाबादके ज़च्चाघरोंके दफ़्तरोंकी जाँच करके गुजरात संशोधन-मंडलकी तिमाही रिपोर्टमें दी गअी है।

अिस हालतको सुधारनेके लिअे ज़्यादा जानकारी और तालीम हासिल करना, ज़्यादा अच्छा और अुचित भोजन करना, ज़्यादा प्रमाणमें कसरत करना और क़ुदरती ज़िन्दगी बिताना वग़ैरा कोशिशें

www.vinoba.in

की जाती हैं, और कअी जमातें अिस दिशामें काम कर रही हैं। लेकिन अिन सबकी कोशिशोंका फ़ायदा ठीक तरहसे लोगोंको मिलता है या नहीं, अिसके लिअे लगातार जाँच — सरवे — होनी चाहिये। बम्बअीमें गुजरात संशोधन-मंडलकी तरफ़से अेक 'आरोग्य-मंदिर' खोला गया है। वहाँ भले-चंगे और रोज़का कामकाज तन्दुरुस्त लोगोंकी तरह कर सकनेवाले औरत-मर्दों और बच्चोंकी — पूरे-के-पूरे परिवारोंकी ही — सायन्सके तरीक़ेसे जाँच की जाती है। अुससे यह मालूम हुआ है कि, समाजका बहुत बड़ा हिस्सा छोटी-मोटी बीमारियोंका शिकार है और अगर लोगोंको ठीक वक़्तपर जानकारी और सलाह दी जाय, तो अुनको भयंकर रोगोंसे बचाया जा सकता है। खास तौरपर बच्चों और औरतोंको अैसी सलाह और मददकी बड़ी ज़रूरत है।

बीमारोंकी सार-सँभालके लिअे पुराने ज़मानेसे ही हिन्दुस्तानमें बीमारोंको रखनेके वार्डों, अस्पतालों और वैद्योंकी योजना रही है। लेकिन सेहतकी सँभालके लिअे जो सहूलियतें पच्छिमी मुल्कोंमें हैं, वैसी अिस देशमें नहीं हैं। देशी अिलाज या क़ुदरती अिलाजपर आधार रखनेवालोंको भी शरीरकी जाँचके लिअे आजकालके वैज्ञानिक तरीक़ोंका अिस्तेमाल करना चाहिये। पेशाब, दस्त, और ख़ूनकी मामूली जाँचके लिअे दो हज़ार रुपयोंसे ज़्यादा क़ीमतके साधनोंकी ज़रूरत नहीं है। अैसी जाँचके लिअे बहुत बड़ी या लंबी तालीमकी ज़रूरत भी नहीं। मगर क़ाबिल आदमियोंको ज़रूरी तालीम दिलाकर शरीरका वज़न, माप, और दूसरी सारी तन्दुरुस्ती सम्बन्धी हक़ीक़तें अिकट्ठा करनेका काम हमें जल्दीसे जल्दी अुठा लेना चाहिये। अगर हरअेक अस्पताल, म्युनिसिपालिटी और आरोग्य-संस्था अिस बारेमें ज़रा ज़्यादा ध्यान दे, तो बहुत कम खर्च और थोड़ी मेहनतसे हिन्दुस्तानके लोगोंकी तन्दुरुस्ती आसानीसे सुधारी जा सकती है। अगर अैसी जमातें हरअेक शख़्स की ख़ुराककी भी वैज्ञानिक जाँच करें और अुसमें पाअी जानेवाली कमियोंको दूर करनेकी सलाह दें, तो तन्दुरुस्त लोग अपना स्वास्थ्य सुधारनेके मौक़ों और साधनोंसे बहुत फ़ायदा अुठा सकें। अिस काममें सलाह और मदद देनेके लिअे लेखक हमेशा तैयार रहेगा।

बम्बअी, १२-१-'४७

(गुजरातीसे) **पोपटलाल गोविन्दलाल शाह**

सूबाओं सरकारें और हिन्दुस्तानी

हिन्दुस्तानी प्रचार-सभाकी कार्य-समितिने नीचे लिखा ठहराव पास किया है :—

"हिन्दुस्तानी प्रचार-सभाकी यह कार्य-समिति प्रान्तीय सरकारोंसे प्रार्थना करती है कि वे हिन्दुस्तानी प्रचारके कामको ज़्यादा तेज़ीसे चलावें।

सारे हिन्दुस्तानके कामको चलानेके लिअे राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीका प्रचार ज़रूरी है। आज़ाद हिन्दुस्तानमें रेल, तार, बैंक वग़ैराका काम भी हिन्दुस्तानीमें ही चलाना होगा। अिसलिअे यह समिति प्रान्तीय सरकारोंसे अनुरोध करती है कि वे, लोकमतको देखते हुअे, जितना जल्द हो सके, हिन्दुस्तानीकी शिक्षा दोनों लिपियोंमें अनिवार्य करें। फिलहाल नीचे लिखी नीति स्वीकार की जाय :—

(१) प्रान्तोंके सभी स्कूलोंमें हिन्दुस्तानीको दोनों लिपियोंमें जाननेवाले शिक्षकोंकी नियुक्ति अनिवार्य की जाय।

(२) सरकारकी ओरसे अुन्हीं विद्यार्थियोंको हिन्दुस्तानीका सर्टिफिकेट दिया जाय, जिन्होंने दोनों लिपियाँ सीख ली हों। दोनों लिपियाँ अेक साथ सीखी जायँ या अेकके बाद दूसरी, अिसका फ़ैसला प्रान्तों-पर छोड़ा जाय।

(३) श्रेणी (डिवीजन), वजीफ़ा (पुरस्कार अित्यादि) अुन्हीं विद्यार्थियोंको दिये जायँ, जो हिन्दुस्तानीको दोनों लिपियोंमें सीखें।

(४) ट्रेनिंग स्कूलों और कॉलेजोंके विद्यार्थियों और दूसरे कर्मचारियोंके लिअे दोनों लिपियोंमें हिन्दुस्तानी ज़बान जानना ज़रूरी समझा जाय।"

दो नकार

हमें बचपनमें यह पढ़ाया गया था कि कुछ खास मौक़ोंपर 'हाँ' का असर पैदा करनेके लिअे दो नकारोंका अिस्तेमाल किया जा सकता है। क्या रुपये-पैसेके मामलेमें भी यह तरीक़ा अिस हदतक आज़माया जा सकता है कि दुगुनी लूट भेंटमें बदल जाय? अैसा मालूम होता है कि शाहंशाहकी सरकारने हिन्दुस्तानी सनदी नौकरों (आअी० सी० अेस०) और हिन्दुस्तानी पुलिस-नौकरों (आअी. पी. अेस.) को हिन्दुस्तानकी बननेवाली राष्ट्रीय सरकारसे मुआवज़ा दिलानेके लिअे यही तरीक़ा सुझाया है। ये लोग राष्ट्रीय सरकारके मातहत नौकरी करनेके लिअे तैयार नहीं हैं, यही चीज़ हमारे अिस डरकी तसदीक़ करती है कि ये नौकरियाँ राष्ट्रीय नहीं, बल्कि हिन्दुस्तानियोंको ग़ुलामीमें जकड़ रखनेवाली ब्रिटिश नौकरियाँ थीं। अिसलिअे पहले तो अुन्हें ब्रिटिश खज़ानेसे तनख़ाह दी जानी चाहिये थी और अब, चूँकि वे जनताकी सरकारके हाथ नीचे नौकरी नहीं करना चाहते, अुन्हें क़रीब २० करोड़ रुपयेका मुआवज़ा देनेके लिअे हमसे कहा जाता है। और, ताज्जुबकी बात तो यह है कि अिन नौकरियोंके हिन्दुस्तानी सेवकोंके लिअे भी यह मुआवज़ा माँगा जाता है। अिससे क्या हम यह समझें कि अिन नौकरियोंको छोड़नेवाले और मुआवज़ेकी आशा रखनेवाले हिन्दुस्तानी सेवक, अपना देश छोड़कर, नअी जन्मभूमिकी तरह माने हुअे अुस अिंग्लैण्डमें जाकर बस जायँगे, जिसके प्रति वफ़ादार रहना वे पसन्द करते हैं?

सो जो कुछ भी हो, अिंग्लैण्डके लिअे लड़नेवाले और हिन्दुस्तानको ग़ुलामीमें रखनेके लिअे अुसपर क़ब्ज़ा रखनेवाली फौज़का काम देनेवाले हिन्दुस्तानी सिपाहियोंको हिन्दुस्तानकी जायदादमेंसे अिनाम देनेके विचारके साथ शाहंशाहकी सरकारकी अिस माली नीतिका पूरा-पूरा मेल बैठता है।

हमारा सुझाव यह है कि, न्यायसे देखा जाय तो, हिन्दुस्तानकी राष्ट्रीय सरकारके मातहत काम करना न चाहनेवाले अिन सेवकोंको जो भी मुआवज़ा दिया जाय, वह अिंग्लैण्डके खज़ानेसे दिया जाय, हिन्दुस्तानके खज़ानेसे नहीं। अिसी तरह, अगर अिंग्लैण्ड अीमानदार हो तो, हिन्दुस्तानी सिपाहियोंको दिया जानेवाला अिनाम भी ब्रिटिश खज़ानेसे ही दिया जाना चाहिये। यह अेक माना हुआ अुसूल है कि सारे नौकरोंकी तनख़ाह अुनके मालिकोंको ही देनी चाहिये। अगर आअी० सी० अेस० और आअी० पी० अेस० विभागोंके सेवक और हिन्दुस्तानी सिपाही ब्रिटिश सामराजवादके नौकर थे, तो क्या यह आशा रखना बहुत ज़्यादा होगा कि अपने नौकरोंका खर्च सामराजवादियोंको ही अुठाना चाहिये?

(अंग्रेज़ीसे) **जे० सी० कुमारप्पा**

नअी किताबें

	मूल्य	डाकखर्च
जीवनका काव्य — हमारे त्योहारोंका परिमल (काका कालेलकर)	२—०—०	०—५—०
गोसेवा — (गांधीजी)	१—८—०	०—५—०
अीशु खिस्त — (किशोरलाल घ० मशरूवाला)	०-१४-०	०—१—०
रचनात्मक कार्यक्रम — अुसका रहस्य और स्थान (नअी और सुधरी हुअी आवृत्ति) (गांधीजी)	०—६—०	०—१—०
अेक धर्मयुद्ध — (महादेवभाअी हरिभाअी देसाअी)	०—८—०	०—२—०
हिन्दुस्तानी बाल-पाठावली	०—५—०	०—१—०
मरुकुंज — क्षयरोगका निवारण(मथुरादास त्रिकमजी)	१—४—०	०—५—०
हमारी बा — अुनकी जीवन-कस्तूरी (वनमाला परीख और सुशीला नय्यर)	२—०—०	०—६—०

व्यवस्थापक, नवजीवन कार्यालय
पोस्ट बॉक्स १०५, अहमदाबाद

www.vinoba.in

हरिजनसेवक
१६ मार्च १९४७

कपड़ेकी बाबत अुड़ीसाकी नीति

जनताकी हालत सुधारनेके लिअे लोकप्रिय सरकारोंको जो नीतियाँ बरतनी चाहियें अुनके बारेमें बहुत-कुछ ढीले विचार होते रहते हैं। "अुड़ीसाकी खुदकुशी" शीर्षक जो लेख हमने शाया किया था, अुसके बारेमें वहाँके बड़े वज़ीर श्री० महताबने अेक कैफ़ियत मेजी है। अुसे हम खुशीके साथ नीचे दे रहे हैं:

"लेखके पहले पैरेके संबंधमें दो रायें नहीं हैं और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मगर दूसरे पैरेमें, आपके यह लिखनेपर मुझे सचमुच ही ताज्जुब है कि 'अुड़ीसाकी सरकार सूबोंकी स्पिण्डल कोटाकी स्कीमके लोभमें सबसे पहले फँसी है और अुसको अपनी नअी कंपनी अुड़ीसा टेक्सटाअिल मिल्स लिमिटेडके लिअे कल-पुर्ज़े बाहरसे मँगानेका सबसे पहले मौक़ा दिया गया है, अित्यादि।' अच्छा होता अगर अुड़ीसाके अपने दोस्तोंसे नहीं, तो सरकारी ज़रियोंसे सही, आप भरोसेके लायक़ जानकारी ले लेते। मैं आपके जाननेके लिअे नीचेकी बातें लिखता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहीं कपड़ेका धंधा शुरू करनेके लिअे अंदर अंदर जो प्रचार किया जा रहा है वही आपकी अिस रायज़नीका आधार है। आशा है कि जो सामग्री मैं मेज रहा हूँ अुससे आपकी ग़लत जानकारी दूर हो जायगी।"

"जंगके बादकी योजना कमेटी (कपड़ा) हिन्दुस्तानकी सरकारने फरवरी, १९४५ में बनाअी थी। अुसके सदर श्री० डी० अेम० खटाअू बनाअे गये थे। अिस कमेटीने नवंबर, १९४५ में अपनी कार्रवाअी पेश की। हिन्दुस्तानको कअी हलक़ोंमें बाँटकर बंबअी को बचतवाला और दूसरोंको कमीवाले हलक़े बताया गया था। रियासतोंके सहित अुड़ीसा कमीवाला हलक़ा है। अुसे १,५०,००० तकुअे चलानेकी अिजाज़त देनेकी सिफ़ारिश की गअी थी। टेक्सटाअिल कमिश्नरने यह संख्या घटाकर १,१९,००० कर दी और हिन्दुस्तानकी सरकारने सूबाअी सरकारसे माँग की कि अलग अलग व्यापारियोंके बीच तकुओंके बटवारेकी सिफ़ारिशें १५ अपरेल, १९४६ तक मेज दी जायें।

"याद रखने लायक़ बात है कि यही फ़रमान दूसरे सूबोंको भी मेजा गया था। अुड़ीसामें कांग्रेसने २७ अपरैल, १९४६ को मंत्रि-मंडल बनाया। अुस वक्त हिन्दुस्तानकी सरकारको लिखा जा सकता था कि सूबा सरकारमें रद्दोबदल होनेके ख़्यालसे अिस प्रांतको मिला हुआ तकुओंका भाग रद कर दिया जाय। अुस हालतमें जिन व्यापारिओंको तकुअे मिलने थे, वे पड़ोसकी रियासतोंमें अपना काम शुरू कर सकते थे। या, हिन्दुस्तानकी सरकारकी हिदायतोंके मुताबिक़ वह सब तकुअे बंगालको दे दिये जाते। यह भी मुमकिन था कि जिस तरह मद्रासमें हुआ अुसी तरह हमारे साथ भी तकुअे लेनेके लिअे ज़बरदस्ती की जाती। बहरहाल, १९४६ में सूबा सरकारने भारत सरकारको तकुओंका हिस्सा रद कर देनेके लिअे नहीं लिखा। अिसी बीच कपड़ा संबंधी नीतिके बाबत पार्टीके अंदर और दूसरे सूबोंके साथ भी बहस-मुबाहसा होता रहा। अुड़ीसा कांग्रेस कमेटीका फ़ैसला आपकी जानकारीके लिअे अिसके साथ नत्थी कर रहा हूँ। लेकिन यह याद रखना चाहिये कि मद्रासके अलावा किसी दूसरे प्रान्तने, और ख़ासकर बंबअीने, जो कि कपड़ेकी पैदाअिशके संबंधमें साफ़ तौरपर बचतवाला प्रांत है, अिस बाबत कोअी क़दम नहीं अुठाया।

"नवंबर ४, १९४६ को भारत सरकारने फिरसे अुद्योग-धंधोंमें पिछड़े हुअे सूबोंके परदेशसे मशीनें मँगानेके हक़पर ख़ास विचार करनेकी चिंता प्रगट की। अुस ख़तके ज़रिये भारत सरकारने कुछ मुद्दे बताते हुअे सूबाअी सरकारसे दरख़्वास्त की थी कि अुन मुद्दोंके मुताबिक़ जो व्यापारी तरजीह पानेके क़ाबिल हों अुनके नाम जल्दसे जल्द अुसके पास मेज दिये जायें। भारत सरकारकी अिस नीतिके कारण और अिस ख़्यालसे कि हमारा सूबा अुद्योग-धंधोंमें पिछड़ा हुआ है, न सिर्फ़ हमारी कपड़ेकी मिलको बल्कि दूसरे अुद्योग-धंधोंको भी ख़ास रिआयत मिल रही है।

"अूपर दी हुअी सामग्रीसे आप कृपाकर देखेंगे कि जब अुड़ीसाकी सरकारने अपने प्रान्तमें कपड़ेकी मिलोंका खुलना रोकनेमें आगा नहीं किया—और वह कर भी नहीं सकती थी—तब वह अुन्हें यहाँ खोलनेमें भी आगे नहीं हुअी। मैंने अिस बारेमें जाजूजीसे लिखा-पढ़ी की थी। मेरी नाक़िस रायमें कपड़ेकी पैदावार संबंधी नीति सूबा-दर-सूबा तय नहीं की जा सकती। जबतक तमाम हिन्दुस्तानके लिअे अेक नीति तय नहीं हो जाती तबतक किसी अकेले सूबेका, और ख़ासकर अुड़ीसा जैसे सूबेका, जिसे अपना सारा माल बाहरसे मँगाना पड़ता हो, कोअी अिनक़िलाबी तबदीली करना बेकार है। मैं नहीं मानता कि दूसरे सूबों और रियासतोंमें चाहे जो कुछ होता रहनेपर भी अुड़ीसाके अपनी निजी नीतिपर चलते रहनेका रवैया कारगर हो सकता है।"

"हम आपके लेखके पहले पैरेमें बताअे हुअे सिद्धान्तसे मुत्तफ़िक हैं, अिसलिअे अगर आप तफ़सीलके साथ बता सकें कि सरकारकी हैसियतसे जिन अमली मसलोंका हमें रोज़ाना सामना करना पड़ता है अुन्हें कैसे हल किया जाय, तो हमको सचमुच मदद मिलेगी। वरना, बिना जानकारीकी नुक़ताचीनीसे कोअी राह नहीं मिलती।"

अुड़ीसा असेम्बली कांग्रेस पार्टीके जिस बयानका ज़िक्र अूपर किया गया है वह नीचे लिखे मुताबिक़ है:—

"रुपयेसे किये जानेवाले मौजूदा आर्थिक बन्दोबस्तके बदले, जिसकी बुनियाद होड़ और बड़े बड़े कारखानोंमें बड़े पैमानेपर मालकी पैदावार है, यह पार्टी चर्खा और देहाती अुद्योग-धंधोंकी बुनियादपर खड़ा किया हुआ, अपनी ज़रूरत पूरी करनेवाला, देहाती आर्थिक बन्दोबस्त क़ायम करनेपर विश्वास करती है। पार्टी पूरी तरह समझती है कि गांधीजीके बताअे हुअे तरीकोंपर समाजी और आर्थिक ढाँचेको फिरसे गढ़े बिना दुनियाकी शांति हमेशा अेक सपना बनी रहेगी। साथ ही वह यह भी जानती है कि अिस मक़सदको पूरा करनेके लिअे बहुत ज़्यादा धीरज और लगनकी ज़रूरत है और यह काम कुछ ही महीनों या बरसोंका नहीं है। पार्टीके ख़्यालसे, अगर सरकार और राष्ट्रीय संस्थाअें पूरी तरह मिलकर अिस महान कामके लिअे जनताका अुत्साह जगाअें तो भी नये समाजी गठनमें पंद्रहसे बीस बरसतक लग जायेंगे। अगर सिर्फ़ सरकारी कार्रवाअियोंके ज़रिये, चाहे वह नकारात्मक हों चाहे सकारात्मक, अिस क़िस्मका फेर-बदल करनेकी कोअी कोशिश की गअी तो वह ज़रूर कच्ची और नाकामयाब साबित होगी। पार्टीने अिन तमाम बातोंको नज़रके सामने रखते हुअे प्रान्तमें मिलका कपड़ा बनना बिलकुल रोक देनेके सवालपर विचार किया। अुसने प्रान्तको मिले हुअे कोटाके मुताबिक़ सूती कपड़ेकी मिलें खोलनेके सवालपर भी विचार किया।"

www.vinoba.in

"पार्टीमें पूरी तरह बहस होनेके बाद यह महसूस किया गया कि अिस बीचके वक्तमें, जबतक कि सूबेकी ज़रूरियात हाथसे कते और बुने हुअे कपड़ेसे पूरी न होने लगें, बंबअी और अहमदाबादकी ज़बरदस्त मिलोंके बनिस्बत सरकारके क़ाबूमें चलनेवाली सूबेकी ही मिलोंका सहारा लेना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर भी, पार्टी यह साफ़ कर देना चाहती है कि अगर दूसरे सूबोंने या कमसे कम, कांग्रेसी सरकारोंके सूबोंने, नअी मिलोंका ख़ोला जाना रोकनेकी नीति मंज़ूर कर ली या मौजूदा और अब खोली जानेवाली मिलोंका पूरा राष्ट्रीयकरण हो गया और वे पूरी तरहसे सरकारके क़ाबूमें कर दी गअीं, तो हम अपना पूरा ज़ोर लगायेंगे।"

अिस सिलसिलेमें नीचे लिखा जवाब भेजा गया है:—

आपने अपने २२ फरवरी, १९४७ के खतमें अपने सूबेकी कपड़ा-संबंधी नीतिके बाबत जो कैफ़ियत भेजी है, अुसके लिअे मैं आपका शुक्र-गुज़ार हूँ। मुझे भय है कि आपने मेरी परखको अपने और अपनी कांग्रेसी सरकारके खिलाफ़ मान लिया है और अिसलिये अपनी सरकारी ज़िम्मेदारी सँभालनेकी तारीख़ बताकर अपने आपको क़सूरसे बरी साबित करनेकी तकलीफ़ अुठाअी है। आपने यह भी मान लिया है कि मैं प्रचारकी बातोंमें बह गया हूँ।

किसीपर ज़िम्मेदारी मढ़नेसे ज़्यादा मेरे ख़्यालोंसे दूर और कोअी बात नहीं थी। मैंने कांग्रेसका ज़िक्रतक नहीं किया था। मैंने सिर्फ़ "अुड़ीसाकी सरकारका" ज़िक्र किया था। कुदरतन अिसका मतलब अुस सरकारसे होगा जो कार्रवाअीके वक्त मौजूद थी।

प्रचार करनेवाले किसीसे मेरा कोअी तालुक़ नहीं था। मैंने "अिण्डियन फ़िनान्स" और "अीस्टर्न अिकानमिस्ट" जैसे ज़िम्मेदार पत्रोंमें प्रकाशित कंपनीके तस्दीक़शुदा प्रास्पेक्टससे अपनी जानकारी हासिल की थी। प्रास्पेक्टस भरोसेकी और आधी सरकारी चीज़ होती है।

आपने जो कैफ़ियत दी है अुसके ज़रिये .खुद ही ज़िम्मेदारी अुठा ली है; जैसा कि आप कहते हैं—"सूबाअी सरकार भारत सरकारको लिख सकती थी कि सूबा सरकारमें रद्दोबदल होनेके कारण सूबेको तकुओंका जो हिस्सा दिया गया है अुसे रद कर दिया जाय। लेकिन यह नहीं किया गया। आपके अैसा करनेपर दूसरोंने क्या किया होता, यह बात सवालसे बाहरकी है। कोअी दूसरा ग़लत काम करनेवाला है, अिसलिअे अुसके पहिले हम .खुद अुसे कर डालें, यह बहाना हमारे लिअे ठीक नहीं हो सकता।

आपने अुड़ीसा कांग्रेस पार्टीके नीति-संबंधी जिस बयानका हवाला दिया है, अुससे खादीके लिअे सिर्फ़ दिखाअू हमदर्दी मालूम होती है। अुससे खादीपर विश्वास ज़ाहिर नहीं होता। खादीसे अपनी ज़रूरियात पूरी करनेके लिअे, खास तौरपर आपके सूबेमें, जहाँ जमे हुअे स्वार्थ अितने मज़बूत और बड़े नहीं हैं, हिन्दुस्तानभरकी कपड़ा-नीति तय करनेकी ज़रूरत नहीं है। कपड़ेकी ज़रूरत पूरी करनेके लिअे घर या, ज़्यादासे ज़्यादा, गाँव अिकाअी है। अैसी हालतमें, खादीका कार्यक्रम अमलमें लानेके लिअे राष्ट्रभरकी अिकाअी बनानेकी ज़रूरत नहीं है। अिसलिअे, मुझे भय है, मैं मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकता कि "कपड़ेकी पैदाअिशकी नीति सूबा-दर-सूबा तय नहीं की जा सकती।" अगर आप मेरे लेखके पहले पैरेमें बताअे हुअे सिद्धान्तसे सहमत हैं, जैसे कि अपने कहनेके मुताबिक़ आप हैं, तो सीधा नतीजा होना चाहिये—अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेनेके लिअे खादीका कार्यक्रम। कपड़ेकी कमीको दूर करनेका यह सबसे यक़ीनी और सबसे जल्दीका तरीक़ा है।

अुड़ीसाकी हद दर्जेकी ग़रीबी और बेकारीके कारण यह बात दूसरे सूबोंके बनिस्बत अुसके बारेमें ज़्यादा सच है। किसी भी आर्थिक (अिक़तिसादी) कार्यक्रमका मक़सद तेहरा होता है। वह सिर्फ़ चीज़ोंकी ज़रूरतें पूरी नहीं करता, बल्कि फ़ायदेमंद काम और साथ ही, व्यक्तित्व या शख़्सियतको बढ़ानेके मौक़े भी देता है। मिलका धंधा सिर्फ चीज़ोंकी ज़रूरत पूरी करता है, जो तीनोंमें सबसे कम अहम है। अैसी चीज़ें ख़रीदनेके लिअे लोगोंको अपनी पैदा की हुअी दूसरी चीज़ें बदलेमें देनी पड़ती हैं। मगर जब वे अपना कपड़ा .खुद बना लेते हैं, तब अुनकी पैदा की हुअी चीज़ें देनेके लिअे कोअी अदला-बदल होती ही नहीं। अिस प्रकार अुनका भंडार खाली नहीं होता। अिसीलिअे मेरा विचार है कि मिलका धंधा अुड़ीसाके लोगोंकी नोच-खसोट करनेके अलावा कोअी दूसरा मक़सद हल नहीं कर सकता।

अिस खत-किताबतसे समूचे हिन्दुस्तानके लिअे अेक ताल-मेलकी नीतिकी ज़रूरत और भी अहम हो जाती है। अिसी क़िस्मके मसलोंका सामना करनेके लिअे अिलाहाबादकी बैठकने कुछ सुझाव पेश किये थे।

(अंग्रेज़ीसे) जे० सी० कुमारप्पा

गांधीजीकी पैदल यात्राकी डायरी

१७-२-'४७

गांधीजीने प्रार्थना-सभामें कहा—"अपनी निगाहमें लाअी गअी दो बातोंकी ओर मैं आप लोगोंका ध्यान खींचना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जो शिकायत बदक़िस्मतीसे मेरे मारफ़त भेजी गअी थी, वह अफ़सरोंके जाँच करनेपर, बेबुनियाद साबित हुअी। वे सब चीज़ें, जो लूटी गअी कही जाती थीं, ज़्यादातर अुसी जगह पाअी गअीं, जहाँसे अुनके लूटे जानेकी बात कही गअी थी। यह खतरनाक बात है। यह मेरे ध्यानमें आया हुआ अैसा दूसरा मामला है। कल कुछ मुसलमान दोस्त मेरे पास आये थे। अुन्होंने यह क़बूल किया कि, 'पिछली अक्तूबरमें यहाँके मुसलमान सचमुच पागल बन गये थे। लेकिन वे बिहारके हिन्दुओंकी तरह बुरे नहीं थे। फिर भी नोआखालीके हिन्दू कुछ लोगोंके खिलाफ़ सरकारमें झूठी शिकायतें करके मुसलमानोंको मुसीबतमें फँसाकर अुनसे बदला लेना चाहते हैं। झूठी शिकायतोंकी तादाद सच्ची शिकायतोंसे बहुत ज़्यादा है। दोनों जातियोंको मिलानेका यह रास्ता तो नहीं है'। मैंने अुनसे कहा कि झूठी शिकायतें लिखानेवाले सब लोगोंपर मुक़दमा चलाया जाना चाहिये और क़सूर साबित होनेपर अुन्हें सख़्त सज़ा दी जानी चाहिये। अगर मैं पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट या वज़ीर होता, तो मैं सचमुच झूठी शिकायत करनेवालोंपर मुक़दमा चलाता और अुन्हें सज़ा देता। जहाँतक मेरा निजी सम्बन्ध है, अपने देशकी सेवा करनेकी अिच्छा रखनेवाले अेक शहरीके नाते मैं तभी अिस बारेमें कुछ कर सकूँगा, जब मुझे झूठी क़सम खाकर शिकायत करनेवाले लोगोंके नाम और पते दिये जायँगे। अभीतक मेरे पास अेक ही अैसा मामला भेजा गया था, लेकिन जब शिकायत करनेवाले भाअीसे शिकायतकी ताअीदमें गवाह पेश करनेकी बात कही गअी, तो वे अैसा न कर सके। आम तौरपर मैं यही कहूँगा कि जिन हिन्दुओंने झूठी शिकायतें की हैं, अुन्होंने अपने-आपको, अपने हिन्दू भाअियोंको और अपने देशको नुक़सान पहुँचाया है।

"अेक और बातकी तरफ़ मैं आप लोगोंका ध्यान खींचना चाहता हूँ। मुझे अेक अैसे ज़िम्मेवार आदमीका खत मिला है, जो दोनों जातियोंमें मेल पैदा करानेका काम कर रहे हैं। अुन्होंने लिखा है कि अेक हिन्दू लड़केको कुछ मुसलमानोंने खूब सताया और हिन्दुओंको यह धमकी दी है कि मेरे नोआखाली छोड़ देनेके बाद, या यों कहिये कि मेरे मर जानेके बाद, अुन्हें पिछले अक्तूबरसे भी ज़्यादा बुरे दिन देखने पड़ेंगे। मैं अिस बातको झूठ मान लेना चाहूँगा। लेकिन मुझे अिसके झूठेपनमें शक है। फिर भी मुझे पूरी अुम्मीद है कि यह ज़हर कुछ बदमाशोंतक ही फैला है। यह ज़हर कुछ लोगों-तक महदूद हो, चाहे बड़े पैमानेपर फैला हो, लेकिन मैं हिम्मतके

www.vinoba.in

साथ यह कहूँगा कि यह चीज़ अिस्लामके बिलकुल खिलाफ़ है। यह बात मैं, फ़ज़्लुल हक़ साहबसे माफ़ी माँगते हुअे, पूरी मज़बूतीके साथ कहता हूँ। जब अिस्लाम या दूसरा कोअी धर्म बाहरी टीकाको सहन करनेकी धीरज खो देगा, तो वह अुसका पतनका दिन होगा। मैं अपने-आपको बाहरी नहीं मानता। मैं अपने ही धर्मकी तरह अिस्लामकी और दूसरे धर्मोंकी अिज़्ज़त करता हूँ। और अिसीलिअे मैं अिस्लामकी हमदर्द और दोस्ताना टीका करनेका दावा रखता हूँ। हर-अेक भले मुसलमानका यह फ़र्ज़ है कि वह अिस ज़हरीले प्रचार या प्रोपैगैण्डाका मज़बूतीसे साफ़-साफ़ शब्दोंमें विरोध करे।"

१८–२–'४७

हमेशाके माफ़िक़ आज भी गांधीजीने अपने सामने रक्खे गये तीन सवालोंका जवाब दिया।

स० — अगर लीगी सरकार या बड़ी तादादवाली जाति हमें पूरा हरजाना देना मंज़ूर कर ले, तो क्या हिन्दुओंको दंगेमें बरबाद हुअे हिस्सोंको छोड़ देना चाहिये?

ज० — मैंने अहिंसाकी निगाहसे अिस चीज़का समर्थन या ताअीद की थी। यह चीज़ सभी सूबोंपर लागू की जा सकती है, फिर ज़्यादा तादाद मुसलमानोंकी हो या हिन्दुओंकी। अगर ज़्यादा तादादवाले लोग अैसे खिलाफ़ हो जायँ कि कम तादादवालोंका अपने साथ रहना ही गवारा न करें, तो सरकार क्या कर सकती है? मेरी रायमें सरकारका बड़ी तादादवाली जातिको जबरन अिसके लिअे राज़ी करना ग़ैरमुनासिब होगा। वह संगीनोंके बलपर कम तादादवाले लोगोंकी रक्षाका भार भी अपने अूपर नहीं ले सकती। मिसालके तौरपर, मान लीजिये कि ज़्यादा तादादवाली जाति राम-धुन या ताल देनेकी रीत सहन नहीं करती; अिस बातको सुनती ही नहीं कि राम किसी मनुष्यका नहीं बल्कि भगवानका ही नाम है, कि हिन्दू राम-धुनके साथ ताल देनेमें श्रद्धा रखते हैं; और यह भी मान लीजिये कि मुसलमान यह सब गवारा नहीं करते, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहटके यह कहूँगा कि कम तादादवाली जातिको अपना वतन छोड़ देना चाहिये, बशर्ते कि मुनासिब हरजाना दिया जाय।

स० — जो कार्यकर्त्ता यहाँ तीन या चार महीने पहले आये हैं, अुन्हें बहुत बड़ी जिस्मानी और मानसिक मुश्किलोंका सामना करना पड़ा है। अिसके अलावा, अक्सर अुन्हें बड़े-बड़े मेताओंकी अुचित सलाह भी नहीं मिली। अब, क्योंकि आमद-रफ़्त थोड़ी आसान हो गअी है, रहनुमा बनना चाहनेवाले लोग कार्यकर्त्ताओंको अलग-अलग दिशाओंमें खींच रहे हैं। कार्यकर्त्ता अिस तरह अलग-अलग दिशाओंमें बँटी हुअी सलाहोंसे कैसे बचें और कैसे अपने तय किये हुअे कामको अच्छी तरह पूरा करें?

ज० — जो कार्यकर्त्ता काम करते-करते थक गये हों, अुन्हें आराम करनेका पूरा हक़ है। अलग-अलग नेताओंकी अेक-दूसरेके खिलाफ़ दी जानेवाली सलाहसे जिन कार्यकर्त्ताओंका ध्यान बँट जाता है, अुन्हें मैं कहूँगा कि वे अपने नेता चुन लें और अुनकी सलाह मानें। लेकिन अैसा वे तभी करें, जब चुने हुअे नेताओंकी बात अुनके दिल और दिमाग़को अपील करे। जहाँ दो नेताओंके बीच विरोध हो, वहाँ कार्यकर्त्ता ख़ुद अपने दिल और दिमाग़की बात मानें। सब धर्मोंकी यही आज्ञा है। अगर मज़हबी मामलोंमें अैसा किया जा सकता है, तो दुनियावी मामलोंमें — खासकर नोआखालीमें, जहाँका सवाल अितना सादा है — यह और भी ज़्यादा किया जा सकता है। कार्यकर्त्ताओंका यह फ़र्ज़ है कि वे दोनों तरहकी बातोंमें मेल कर लें और अेकको दूसरीके खिलाफ़ कभी न जाने दें।

स० — मुसलमानोंने जिन औरतोंको लौटा दिया है, वे अपनेमें आशा और हिम्मतका संचार करनेके लिअे बाहरी स्त्री-कार्यकर्त्ताओं पर बहुत ज़्यादा मुनहसिर करती हैं। अिसे कबतक बढ़ावा दिया जा सकता है? क्या धीरे-धीरे बाहरके सारे कार्यकर्त्ताओंको वापस नहीं बुला लिया जाना चाहिये?

ज० — जो चीज़ पुरुष-कार्यकर्त्ताओंके लिअे सही है, वही स्त्री-कार्यकर्त्ताओंके लिअे भी। वे यहाँ लोगोंमें भगवान्‌की श्रद्धा पैदा करने और अुन्हें हिम्मतवर बनानेके लिअे आये हैं, न कि अपनी ग़ैर-मौजूदगीमें लोगोंको लाचारी महसूस करानेके लिअे। अुन्हें अपने-अपने गाँवोंकी औरतोंको साफ़-साफ़ यह कह देना चाहिये कि हम थोड़े समयके लिअे ही गावोंमें रहेंगी। अिसलिअे आपको अपनेपर भरोसा करना सीखना चाहिये। आपको अपनी श्रद्धा और अिज़्ज़तके लिअे मरनेकी कला सीखनी ही चाहिये।

१९–२–'४७

पहला सवाल, जिसका प्रार्थना-सभामें गांधीजीको जवाब देना पड़ा, यह था—

स० — नोआखालीके दिलचस्पी रखनेवाले लोग जिस हिन्दू कार्यकर्त्ताके बारेमें जान-बूझकर ग़लतबयानी करते हों, अुसे क्या करना करना चाहिये?

ज० — अहिंसाके शब्दोंमें मामूली तौरपर जवाब यह होगा कि कामोंको अपनी बात ख़ुद कहने दी जाय। मगर यह अच्छा होनेपर भी, कुछ मौक़े अैसे होते हैं जब कि बोलना और कैफ़ियत देना फ़र्ज़ और न बोलना झूठके बराबर हो जाता है। अिसलिअे अक़्लमंदीका तक़ाज़ा है कि कुछ मौक़ोंपर काम करनेके साथ बोलना ही चाहिये। बेशक अैसे मौक़े भी होते हैं जब बोलने और काम करनेकी जगह सिर्फ़ विचार ले सकता है। यह गुण परमेश्वरका है और शायद अरबोंमें अेकके हाथ लग सकता है। मुझे तो अैसी किसी मिसालकी जानकारी नहीं।

अिसके बाद अुन्होंने नीचे लिखे सवालोंके जवाब दिये—

स०— आपने ज़्यादा तादादवाले लोगोंके पक्के तौरसे मुखालिफ़ हो जानेपर हिजरत करनेकी सलाह दी है। मगर आपने यह भी कहा है कि सच्चे अहिंसकको प्रेमके ज़रिये अपने विरोधीको बदल लेनेकी आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिये। अिस हालतमें कोअी अहिंसक आदमी कैसे हार मंज़ूर करके हिजरत कर सकता है?

ज०— यह बिलकुल सही है कि कोअी अहिंसक आदमी अपनी जगहसे न जायगा। अैसे आदमीके लिअे मुआवज़ेका कोअी सवाल नहीं होगा। वह अपनी जगहपर मरकर साबित करेगा कि अुसकी मौजूदगी राज और समाजके लिअे ख़तरनाक नहीं थी। मैं जानता हूँ कि नोआखालीके हिन्दुओंका अैसा कोअी दावा नहीं है। वे सीधे-सादे लोग हैं, जो दुनियासे प्रेम करते हैं और शान्ति और सही-सलामतीके साथ दुनियामें रहना चाहते हैं। अगर सरकार ज़्यादा तादादवालोंकी शांतिके लिअे अैसे लोगोंको अिज़्ज़तके साथ मुआवज़ा देती है, तो वे सोचेंगे कि अुनकी अिज़्ज़त जानेमें है या रहनेमें। अगर सिर्फ़ हिन्दुओंकी मौजूदगीसे ही मुसलमानोंको, जो ज़्यादा तादादमें हैं, चिढ़ पैदा हो तो मैं सरकारका फ़र्ज़ मानूँगा कि वह मुआवज़ा दे। अिसी तरह हिन्दुओंकी ज़्यादा तादादवाले प्रांतोंकी सरकारोंका भी फ़र्ज़ होगा कि अगर ज़्यादा तादादवालोंको मुसलमानोंकी मौजूदगीसे ही चिढ़ होती हो, तो वह अुन्हें मुआवज़ा दे दें।

स० — सरकार अगर हिजरत करनेकी सलाह दे तो क्या बाहर जानेवालोंको

(अ) अपनी सब हट सकनेवाली और न हट सकनेवाली मिलकियतके लिअे और

(आ) व्यापारके नुक़सानके लिअे

मुआवज़ा माँगना चाहिये? दूसरे शब्दोंमें, आपके ख़्यालसे कौनसी मुआवज़ा क्या होगा?

ज० — जब हटाअी जा सकनेवाली सम्पत्तिको जानेवाला ले न जा सके, या ले न जाय तब अिसके और न हटाअी जा सकनेवाली सम्पत्तिके लिअे सरकार मुआवज़ा देनेको मज़बूर

www.vinoba.in

होगी। व्यापारका नुक़सान अेक कठिन सवाल है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि किसी सरकारके लिअे अिस क़िस्मके मुआवज़ेका भार अुठाना संभव है। मैं अुस प्रस्तावको तो समझ सकता हूँ जिसमें नअी जगहमें व्यापार शुरू करनेके लिअे अुचित रक़मकी माँग की गअी है।

मैंने हिजरतकी संभावनाकी छानबीन की है। और मैं अुसे मानता हूँ। मगर मेरा सारे हिन्दुस्तानका तजरबा बताता है कि हिन्दू और मुसलमान आपसमें शान्तिसे रहना जानते हैं। मैं विश्वास करनेसे अिनकार करता हूँ कि लोगोंने अपनी अक़्लको अिस क़दर तिलांजलि दे डाली है कि वे अब अेक-दूसरेके साथ शांतिसे, जैसा कि पीढ़ियोंसे होता चला आया है, रह ही नहीं सकते। क्योंकि, मैं कवि अिक़बाल ने जो यह कहा है अुसपर विश्वास करता हूँ कि "हिन्दू और मुसलमानोंके पास, जो सदियोंसे अूँचे हिमालयकी छायामें रहे हैं और जिन्होंने गंगा और जमनाका पानी पिया है, दुनियाके लिअे अेक अनोखा सँदेसा है।"

२०-२-'४७

गांधीजीने प्रार्थना-सभामें चार सवालोंके जवाब दिये।

स०— अगर आप समझते हों कि सरकार कम तादादवालोंका बायकाट कर सकती है, यानी काफ़ी मुआवज़ा देकर अुन्हें निकाल सकती है, तो क्या लोगोंको मौक़ेसे फ़ायदा अुठाकर चले नहीं जाना चाहिये?

ज०— जो लोग मौक़ेसे फ़ायदा अुठाना चाहते हैं अुनसे और अगर हिन्दुओंको ले जानेके लिअे हिन्दुओंका ही मंडल बनाया जाय, तो अुससे भी मेरा कोअी मेल नहीं हो सकता। मैं अिस तरहकी किसी योजनामें शामिल नहीं हो सकता। अिसका पूरा भार तो ज़्यादा तादादवाले समाजपर और सरकारपर है। मेरा अितना ही मतलब था कि जब वे अक़्लका दिवालियापन ज़ाहिर कर दें तब काफ़ी मुआवज़ा मिलने पर, कम तादादवाले समाजको चला जाना चाहिये। दूसरा तरीक़ा हिंसाका यानी घरेलू जंगका तरीक़ा है, अहिंसाका नहीं।

स०—आपने कहा है कि जात-पाँत टूट जानी चाहिये। अैसा होने पर क्या हिन्दुत्व क़ायम रहेगा? आप हिन्दुत्वको अीसाअी या अिस्लाम जैसे आगे बढ़नेवाले धर्मोंके साथ क्यों मिलाते हैं?

ज०—अगर हिन्दुत्वको जीना है तो जात-पाँत, वह जिस रूपमें समझी जाती है, जानी ही चाहिये। मेरा विश्वास नहीं है कि अीसाअी धर्म या अिस्लाम आगे बढ़नेवाले हैं और हिन्दू धर्म स्थिर या पीछे जानेवाला है। सचमुच मुझे किसी धर्ममें कोअी तैशुदा तरक़्क़ी दिखलाअी नहीं पड़ती। अगर दुनियाके धर्म तरक़्क़ी करनेवाले होते, तो वह आज जो क़साअीखाना बन गअी है सो न बनती। वर्णके बटवारेमें बड़ी चार जातोंके लिअे फ़र्ज़ अदा करनेकी जगह थी। सब धर्मोंमें यह बात सच थी, नाम भले ही वर्णके अलावा कोअी दूसरा रहा हो। अगर मुस्लिम मौलवी और अीसाअी पादरी, रुपयेके लिअे नहीं बल्कि अिसलिअे कि अुसमें समझानेकी देन है, अपने लोगोंको अुनका सच्चा फ़र्ज़ सिखाता हो तो वह ब्राह्मण नहीं तो क्या है? यही बात दूसरे हिस्सों या वर्णोंके बारेमें भी थी।

स०—चूँकि आप जात-पाँतको ताड़नेके हामी हैं, अिसलिअे क्या हम यह समझें कि आप अेक-दूसरी जातमें शादियोंके भी हामी हैं? आजकल बहुतसे धंधे ख़ास ख़ास जातोंके अिज़ारे हो गये हैं। क्या यह भी तोड़ा नहीं जाना चाहिये?

ज०—मैं ज़रूर अेक-दूसरी जातोंके बीच शादियोंका हामी हूँ। जब सब जात-पाँत टूट जायँगी, तब यह सवाल रहेगा ही नहीं। जब यह सुख देनेवाली घटना हो जायगी, तब धंधोंका अिज़ारा भी जाता रहेगा।

स०—अगर अीश्वर या ख़ुदा अेक ही है तो क्या धर्म या मज़हब भी अेक ही नहीं होना चाहिये?

ज०—यह अेक अजीब सवाल है। जिस तरह पेड़में लाखों पत्तियाँ होती हैं अुसी तरह अीश्वर या ख़ुदाके अेक होने पर भी दुनियामें अुतने ही धर्म हैं जितने कि आदमी और औरतें, गो कि अिन सबका सहारा वही अेक अीश्वर है। वे यह सीधी-सादी सचाअी पहचान नहीं सकते, क्योंकि वे अलग अलग पैग़म्बरोंको माननेवाले हैं और अुतने ही धर्मोंका दावा करते हैं जितने कि पैग़म्बर हैं। मैं ख़ुद अपनेको हिन्दू मानता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि सचमुच मैं ठीक अुसी तरह पूजा नहीं करता जिस तरह कि दूसरे करते हैं।

२१-२-'४७

चाँदपुरके पासके गाँवोंसे बहुत बड़ी संख्यामें दर्शक अिकट्ठे हुअे थे। कमलापुरसे चाँदपुर ही सबसे पासका गाँव है। गांधीजीने कहा—"आसपासके गाँवोंसे आनेके कारण मैं आपको बधाअी देता हूँ। फिर भी मुझे हमदर्दी है कि आपको धूपमें चलना पड़ा। मुझे आशा है कि आप हिन्दुस्तानकी धूपसे डरते न होंगे। शायद यह अीश्वरकी सबसे बड़ी देन है। हिन्दुस्तान ख़ुशक़िस्मत है कि अुसे सालके ज़्यादातर हिस्सेमें साफ़, नीला आसमान मयस्सर रहता है।"

"जब हिन्दुस्तानके अग्रीम व आज़म सपूत हरदयाल नाग ज़िन्दा थे, तब मैं अेकसे ज़्यादा बार चाँदपुर गया था। अुस वक़्त मैं अुनका मेहमान था। अिसलिअे मैं जानता हूँ कि चाँदपुर क्या अहमियत रखता है। मुझे ख़ुशी है कि चाँदपुरने पनाहगीरोंकी सार-सँभाल करनेमें अपना हिस्सा अदा किया है। मगर मुझे सफ़ाअी और आरोग्यके नियमोंकी लापरवाही देखकर अफ़सोस है। अगर कड़ाअीके साथ अिन नियमोंका पालन किया जाय तो आपको हमेशा प्लेग और गंदगीसे पैदा होनेवाली दूसरी बीमारियोंके डरमें नहीं रहना पड़ेगा।"

अिसके बाद अुन्होंने कहा—"आपको अपने मनमें अपने मुसलमान पड़ोसियोंके ख़िलाफ़ बुराअी नहीं रखनी चाहिये। हिन्दुओं और मुसलमानोंको अेक-दूसरेके साथ शान्तिसे रहना चाहिये। मेरा ख़याल है कि अगर सिर्फ़ हिन्दुओंके मनमें मुसलमानोंके ख़िलाफ़ या सिर्फ़ मुसलमानोंके मनमें हिन्दुओंके ख़िलाफ़ बुराअी न रही तो भी झगड़े कम हो जायँगे। मगर दोनोंके दिलमें अेक-दूसरेके ख़िलाफ़ बुराअी रहनेसे झगड़े ज़रूर होंगे। अुपनिषदोंमें अेक ज़बरदस्त मंत्र है कि आदमी जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। ज़िन्दगीके हर पहलूमें यह कितना सच है। बुरे विचारसे ख़बरदार रहना चाहिये।"

अिसके बाद अुन्होंने सवालोंके जवाब दिये। पहला सवाल था:

स०—आप अेक-दूसरी जातमें शादीकी हिमायत करते हैं। क्या आप दूसरे दूसरे धर्मवाले हिन्दुस्तानियोंके बीच भी शादियोंके तरफ़दार हैं? क्या अुन्हें अपने-आपको कोअी ख़ास धर्म न माननेवाले ज़ाहिर कर देना चाहिये, या अपने पुराने मज़हबी रस्म-रिवाज पालते हुअे भी शादी कर लेना चाहिये? अगर अैसा हो तो शादी किस तरीक़ेसे की जाय? वह "सिविल" रिवाजसे हो या धार्मिक?

क्या आप मानते हैं कि धर्म पूरी तरहसे ज़ाती चीज़ है?

ज०—मैं मंज़ूर करता हूँ कि हमेशा मेरा यह ख़याल नहीं रहा। मगर अबसे बहुत पहले मैं अिस नतीजेपर पहुँच गया था कि, जब भी हो, दूसरे दूसरे धर्मवालोंके बीच शादियोंका होना अच्छी बात होगी। शर्त यह है कि अिस तरहका रिश्ता वासना (नापाक ख़्वाहिश)का नतीजा न हो। अैसी शादी, मेरे ख़यालसे, शादी होती ही नहीं। यह तो नाजायज़ भोग-विलास या अैश है। मैं शादीको अेक पाक संस्था या दस्तूर मानता हूँ। अिसलिअे दोनोंके दिलमें दोस्ती और अेक-दूसरेके धर्मके लिअे अिज़्ज़त होनी चाहिये। अिसमें धर्म बदलनेका सवाल नहीं अुठता, अिसलिअे दोनोंमेंसे किसी भी धर्मका पंडित या मौलवी शादी करा सकता है। यह सुख देनेवाली घटना तब घट सकती है जब क़ौमें आपसकी दुश्मनी निकाल दें और दुनिया भरके धर्मोंकी अिज़्ज़त करने लगें।

www.vinoba.in

स० — क्या धार्मिक तालीम सरकारके मंज़ूर किये हुअे स्कूली पाठक्रम या निसावका हिस्सा होनी चाहिये? क्या आप मज़हबी तालीमके सुभीतेके खयालसे अलग-अलग धर्मके विद्यार्थियोंके लिअे अलग-अलग स्कूलोंके पक्षपाती हैं? या, मज़हबी शिक्षा खानगी संस्थाओंके हाथमें छोड़ दी जानी चाहिये? अगर हाँ तो, क्या सरकारको अैसी खानगी संस्थाओंकी मदद करनी चाहिये?

ज० — मैं, अगर सारी क़ौमका अेक ही धर्म हो तो भी, राजकीय या सरकारी धर्मपर विश्वास नहीं करता। शायद सरकारी दस्तंदाज़ी हमेशा ही नागवार होगी। धर्म खालिस तौरसे ज़ाती मामला है। दरअसल जितने मन हैं अुतने ही धर्म हैं। परमात्मा की कल्पना हर मनमें दूसरेसे जुदा होती है।

मैं धार्मिक संस्थाओंको थोड़ी या पूरी सरकारी मदद मिलनेके भी खिलाफ़ हूँ। यह अिसलिअे कि जो संस्था या जमात अपनी मज़हबी तालीमके खर्चका अिंतज़ाम नहीं कर सकती, वह सच्चे मज़हबको नहीं जानती। अिसका यह मतलब नहीं कि सरकारी स्कूलोंमें चाल-चलनकी तालीम नहीं दी जानी चाहिये। चाल-चलनके अुसूल सब धर्मोंमें अेकसे ही हैं।

२२-२-'४७

गांधीजीने शुरूमें कहा — "वलूचिस्तानके अेक दोस्तके पाससे मेरे पास अेक छपा हुआ काग़ज़ आया है। अुसमें, मैं समझता हूँ, पैग़ंबर साहबके हदीस और अुस्तादोंके क़ौल दिये हुअे हैं। पूरा चुनाव बहुत अच्छा है। मगर मेरा ध्यान हज़रत मोहम्मद साहबके हदीसोंमें अिसकी ओर ज़्यादा खिंचा :—

फ़रिश्ते जो कुछ पूछेंगे—

जब ख़ुदाने ज़मीन बनाअी तो वह अिधर-अुधर हिलती थी, जबतक कि अुसने अुसे मुस्तक़िल करनेके लिअे अुसपर पहाड़ नहीं रख दिये। तब फ़रिश्तोंने पूछा — अै ख़ुदा, क्या तेरी खिलक़तमें अिन पहाड़ोंसे भी ज़्यादा ताक़तवर कोअी चीज़ें हैं? और ख़ुदाने जवाब दिया — लोहा अिन पहाड़ोंसे भी ज़्यादा ताक़तवर है, क्योंकि वह अिनको फोड़ डालता है।

और क्या तेरी खिलक़तमें लोहेसे भी ताक़तवर कुछ है?

हाँ, आग लोहेसे ज़्यादा ताक़तवर है, क्योंकि वह अुसे गला देती है।

क्या आगसे भी ताक़तवर कुछ है?

हाँ, पानी, क्योंकि वह आगको बुझा देता है।

क्या पानीसे भी ताक़तवर कुछ है?

हाँ, हवा, क्योंकि वह पानीको चला देती है।

अै हमारे मालिक, क्या हवासे भी ताक़तवर कोअी चीज़ है?

हाँ, ख़ैरात करनेवाला भला आदमी। अगर वह दाहिने हाथसे देता है और बायें हाथसे अुसे छिपा लेता है तो वह सब चीज़ोंको जीत सकता है। हर अच्छा काम ख़ैरात है। अपने भाअीके सामने तुम्हारा मुसकराना, किसी भटके हुअेको तुम्हारा राह बता देना, प्यासेको तुम्हारा पानी दे देना ख़ैरात है। अबसे आदमीकी सच्ची दौलत अुसकी अपने साथीके साथ की हुअी भलाअी है। जब वह मरेगा तो लोग पूछेंगे — वह अपने पीछे कौनसी दौलत छोड़ गया है? मगर फ़रिश्ते पूछेंगे — अुसने कौनसे अच्छे काम आगे भेजे हैं?

फिर गांधीजीने नीचेके सवालोंके जवाब दिये —

स० — मन्दिरोंमें जा सकनेपर ज़ोर क्यों दिया जाता है? हम यह समझ कर पूछ रहे हैं कि अुज़्र होनेपर अुसमें सत्याग्रहकी गुंजाअिश है। बिना जात-पाँतकी दावतोंकी वक़्त मद्दूद है। क्योंकि, जो लोग अुनमें शामिल होते हैं, वे अपने घरों और समाजी कामोंमें छुआछूतको नहीं छोड़ते। कांग्रेसके आदमियों या दूसरे तरक़्क़ी-याफ़्ता लोगोंके ज़रिये संगठित हुअी अिन दावतोंको वे ख़ास मौक़ोंकी बातें मानते हैं, जब कि जात-पाँतके नियम थोड़े वक़्तके लिअे रोक दिये जाते हैं। अिनकी कुछ कुछ बराबरी जगन्नाथपुरी जानेपर बिना जात-पाँतका ख़्याल किये जगन्नाथका भात खा लेनेसे की जा सकती है। छुआछूतका विरोध अभी अितने गहरे नहीं पहुँचा कि वह लोगोंकी मामूली समाजी जिन्दगीपर असर करे। निजी घरोंके अन्दर भेदभावको तोड़नेके लिअे क्या किया जा सकता है? मन्दिर-प्रवेशके बारेमें भी अेक सवाल है। क्या आप समझते हैं कि आज़ाद हिन्दुस्तानमें आम जनताकी सेवाके लिये बिना पुरानी जातोंका ख़्याल किये पुरोहित बना लिये जाया करेंगे?

ज० — बंगालके अिस हिस्सेमें, जहाँ नामशूद्रोंकी सबसे ज़्यादा तादाद है, यह सवाल मौजूँ है। मैं अिस सवालका दोहरा अिस्तक़बाल करता हूँ, क्योंकि मैं जात-पाँत पर विश्वास न करनेके कारण हिन्दू सीढ़ीके सबसे निचले पाँवदान पर बैठा हूँ। अुस सबसे निचले पाँवदान पर बैठनेके लिअे मैं सबको न्योता देता हूँ। तब जैसे प्रश्न मुझसे पूछे गअे हैं वैसोंके लिअे कोअी मौक़े न रहेंगे। अिसी बीच, अिनका जवाब तो मुझे देना ही होगा। मैं अिस दावेकी पूरी ताअीद करता हूँ कि जब जात-पाँतके कारण किसीके खिलाफ़ किसी क़िस्मकी पाबंदी न रहेगी तब छुआछूत भी पूरी तरह नाश हो जायगी। सिर्फ़ गंदेपन और चाल-चलन खो देने वग़ैरा पर सब जगह पाबंदी रहेगी। मगर मैं अिस विश्वासपर क़ायम हूँ कि छुआछूतको मिटानेके काममें मंदिरोंमें जा सकना पहली जगह रखता है और मैं यह दावा भी करता हूँ कि सबके मिलेजुले आम भोजोंके बाद, जैसा कि हो रहा है, छुआछूतके शैतानपर आखिरी जीत ज़रूर होगी। मैं आगेकी बात जताता हूँ कि अगर छुआछूतको नाश न किया गया तो हिन्दू धर्म अुसी तरह मिट जायगा जिस तरह कि, अगर ब्रिटिश साम्राज पूरी तरह खत्म न हो गया तो, ब्रिटिश जातिका नामो-निशान मिट जायगा। यह हमारे देखते देखते हो भी रहा है।

स० — आपने १९४१ में धनकी बराबरीके बारेमें लिखा था। क्या आपका यह खयाल है कि सब लोगोंको, जो समाजमें अुपयोगी और ज़रूरी काम करते हैं — चाहे वे किसान हों या भंगी, अिंजीनियर हों या हिसाब्रनवीस, डाक्टर हों या अुस्ताद — बराबर मिहनताना पानेका नैतिक हक़ है? बेशक यह बात सवालकी तहमें मान ली गअी है कि तालीमके और दूसरे खर्च सरकार बरदाश्त करेगी। हमारा सवाल यह है कि क्या सब लोगोंको अपनी निजी ज़रूरियातके लिअे बराबर मिहनताना नहीं मिलना चाहिये? क्या आप नहीं मानते कि अगर हम अिस बराबरीकी कोशिश करें तो यह दूसरे सब तरीक़ोंसे जल्दी छुआ-छूतको अुखाड़ फेंकेगी?

ज० — मुझे कोअी शक नहीं कि अगर हिन्दुस्तानको आज़ादीकी अेक नमूनेदार जिंदगी बितानी है, जो दुनियाके लिअे रश्कका बायस हो, तो सब भंगियों, डाक्टरों, वकीलों, अुस्तादों, व्यापारियों और दूसरोंको, अीमानदारीसे दिनभर काम करनेके बदले, बराबर मेहनताना मिलना चाहिये। भले ही हिन्दुस्तानी समाज अुस मंज़िल-मक़सूद तक कभी न पहुँचे। मगर, हिन्दुस्तानको अेक सुखी देश बनना है तो, हर हिन्दुस्तानीका फ़र्ज़ है कि वह किसी दूसरेकी ओर नहीं, बल्कि अुसी मंज़िलकी ओर अपने क़दम बढ़ाअे।

(अंग्रेज़ीसे)

विषय-सूची

			पृष्ठ
सवाल-जवाब	...	गांधीजी	४९
आसाम	...	काका कालेलकर	४९
सेहतकी सँभाल	...	पोपटलाल शाह	५०
दो नकार	...	जे० सी० कुमारप्पा	५१
कपड़ेकी बाबत अुद्दोसाकी नीति	...	जे० सी० कुमारप्पा	५२
गांधीजीकी पैदल यात्राकी डायरी	...		५३
टिप्पणी :			
'नअी तालीम'का फिर प्रकाशन	...		५०
सूबाअी सरकारें और हिन्दुस्तानी	...		५१

www.vinoba.in